बच्चे को विदेश ले जाने से रोकना

यदि किसी बच्चे को Aotearoa (आओटियारोआ) न्यूज़ीलैंड से बाहर ले जाया जा रहा है, तो बच्चे के सभी कानूनी अभिभावकों को सहमत होना चाहिए, जिसमें किसी भी 'पालन-पोषण' या 'संरक्षकता आदेश' में नामित लोग शामिल हैं।

किसी बच्चे को Aotearoa (आओटियरोआ) न्यूज़ीलैंड से बाहर ले जाना कानून के विरुद्ध है यदि:

- यह एक 'पेरेंटिंग ऑर्डर (पालन पोषण के आदेश)' के खिलाफ जाता है
- बच्चे से जुड़ा एक मामला कोर्ट में जाने वाला है
- कोई अन्य व्यक्ति 'पेरेंटिंग ऑर्डर' के लिए आवेदन करने वाला है।

अभिभावक एक वयस्क होता है जो एक बच्चे के पालन-पोषण और देखभाल के लिए जिम्मेदार होता है।

आपकी मदद के लिए संसाधन और सेवाएं

बच्चे को विदेश ले जाने से रोकने के लिए आवेदन करें

अगर आप किसी को आओटियारोआ न्यूज़ीलैंड से बच्चे को बाहर ले जाने से रोकना चाहते हैं, तो आप फैमिली कोर्ट में 'ऑर्डर प्रिवेंटिंग रिमूवल (निष्कासन रोकने के आदेश)' के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्णय लेने से पहले एक जज आपके आवेदन पर विचार करेगा।

यदि फैमिली कोर्ट 'निष्कासन रोकने का आदेश' देता है, तो बच्चे को विदेश ले जाने की अनुमति नहीं है। यह आदेश किसी को भी बच्चे के लिए न्यूज़ीलैंड के पासपोर्ट का आवेदन करने से रोकेगा।

अगर कोई आपके बच्चे को न्यूज़ीलैंड से बाहर ले जाने की कोशिश करता है तो पुलिस और सीमा कर्मचारियों को सतर्क किया जा सकता है। यदि आप चाहते हैं कि सीमा पर चेतावनी भेजी जाए, तो जब आप 'निष्कासन रोकने के आदेश' के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको 'सीमा चेतावनी अनुरोध' सबमिट (जमा) करना होगा।

आवेदन पत्र निम्न रूप से प्राप्त करें:

- **मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस (न्याय मंत्रालय) की वेबसाइट पर जाकर**
- **एक पोस्ट की गई प्रति के लिए 0800 224 733 नंबर पर मुफ्त फ़ोन करके।**

आप किसी भी समय कानूनी सलाह ले सकते हैं।

यदि आप इस बारे में चिन्तित हैं कि आपके बच्चे को विदेश ले जाया जा रहा है, तो अपने अधिकारों को समझने के लिए एक वकील से बात करना सहायक हो सकता है। यदि आप सुनिश्चित नहीं है कि कहाँ से शुरू करें, तो अपने स्थानीय कम्युनिटी लॉ सैंटर (सामुदायिक कानून केन्द्र) में या **communitylaw.org.nz** पर जाएं।

कौन आवेदन कर सकता है

'निष्कासन रोकने के आदेश' के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। आमतौर पर, आवेदन करने वाले लोगों में आते हैं:

- बच्चे के माता-पिता या कानूनी अभिभावक
- बच्चे के माता-पिता के पति या पत्नी
- बच्चे का whānau (परिवार और मित्र)
- देखभाल करने वाले, या वे लोग जिनका 'पालन-पोषण आदेश' के तहत बच्चे के साथ दिन-प्रतिदिन संपर्क होता है
- 'पेरेंटिंग ऑर्डर (पालन-पोषण आदेश)' के लिए आवेदन करने वाले हैं।

फैमिली कोर्ट क्या कर सकता है

किसी बच्चे को बिना अनुमति के विदेश ले जाने से रोकने के लिए फैमिली कोर्ट:

- बच्चे और बच्चे को विदेश ले जाने की योजना बनाने वाले व्यक्ति के सभी पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज जब्त कर सकता है
- आदेश दे सकता है कि बच्चे को आओटियारोआ न्यूज़ीलैंड से कुछ समय के लिए या कोर्ट (न्यायालय) द्वारा दूसरा कोर्ट आदेश दिए जाने तक बाहर नहीं ले जाया जा सकता
- एक वारंट जारी कर सकता है ताकि पुलिस या एक सोशल वर्कर (सामाजिक कार्यकर्ता) बच्चे को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहने के लिए ले जा सके जो उसकी देखभाल तब तक करेगा जब तक कि कोर्ट मामले पर कार्रवाई नहीं करती।

अगर कोर्ट आदेश जारी करता है तो बच्चे को विदेश नहीं ले जाया जा सकता

अगर कोर्ट 'निष्कासन से रोकने का आदेश' देता है, तो बच्चे को आओटियारोआ न्यूज़ीलैंड से कोई भी बाहर नहीं ले जा सकता है, जिसमें आदेश मांगने वाला व्यक्ति भी शामिल है

यदि आपको किसी भी कारण से बच्चे को आओटियारोआ न्यूज़ीलैंड से बाहर ले जाने की आवश्यकता है, तो आपको 'निष्कासन रोकने के आदेश' के लिए अपने आवेदन में इसका उल्लेख करना सहायक हो सकता है।

निष्कासन से रोकने का आदेश तब तक लागू रहता है जब तक कि बच्चा या तो 16 वर्ष का नहीं हो जाता, या कोई इसे रद्द करने के लिए जज के पास आवेदन नहीं कर देता।

अगर बच्चे को पहले ही विदेश ले जाया जा चुका है

यदि आप किसी ऐसे बच्चे के बारे में चिंतित हैं जिसे आपकी सहमति के बिना विदेश ले जाया गया है (या रखा गया है) तो आपको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। हेग कन्वेंशन के अंतर्गत सैंट्रल अथॉरिटी (केन्द्रीय प्राधिकरण) पहला संपर्क बिंदु है और आपके विकल्पों को समझने में आपकी मदद कर सकता है।

न्याय मंत्रालय में केंद्रीय प्राधिकरण से संपर्क करें:

- **04 918 8800 नंबर पर (या +64 4 918 8800 पर यदि आप आओटियारोआ न्यूज़ीलैंड से बाहर हैं) फोन करें**

आपको सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है

अगर आप या अन्य कोई व्यक्ति असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप सहायता प्राप्त कर सकते हैं

- **अगर आप या अन्य कोई व्यक्ति तत्काल खतरे में है तो 111 पर फोन करें**
- **justice.govt.nz/family-violence वेबसाइट पर जाएं**
- **areyouokay.org.nz वेबसाइट पर जाएं**
- **'Are You OK (आर यू ओ के)' को 0800 456 45 नंबर पर मुफ्त फोन करें।**

सहायता कहां से प्राप्त करें

आपके समुदाय में

पालन-पोषण के इंतजामों की व्यवस्था करते समय kaiārahi (पारिवारिक न्यायालय संचालक),फैमिली कोर्ट संयोजक और कोर्ट कर्मचारी आपका मार्गदर्शन कर सकते है, पर आपको कानूनी सलाह नहीं दे सकते।

Kaiārahi आपको आपके इलाके में सामुदायिक सहायता सेवाओं से भी जोड़ सकते हैं।

संपर्क करें:

- **अपने स्थानीय कोर्ट में जाएँ**
- **kaiarahi@justice.govt.nz को ईमेल करें**
- **मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस (न्याय मंत्रालय) को 0800 224 733 नंबर पर मुफ्त फोन करें**

आपकी मदद करने के लिए संस्थाएं

सिटीजन्स एडवाइस ब्यूरो (नागरिक सलाह केंद्र)

वे आपके अधिकारों को समझने और फॉर्म भरने में आपकी मदद करते हैं।

- **0800 367 222 पर मुफ्त फोन करें**
- **cab.org.nz वेबसाइट पर जाएं**

कम्युनिटी लॉ सैंटर (सामुदायिक न्याय केन्द्र)

वे आओटियारोआ न्यूज़ीलैंड में लोगों के लिए मुफ़्त, गोपनीय आमने-सामने कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।

communitylaw.org.nz पर जाएं

फैमिली सर्विसिज़ डायरेक्टरी (परिवार सेवा निर्देशिका)

उनके पास सहायता सेवाओं की एक सूची है जो आओटियारोआ न्यूज़ीलैंड में whānau (परिवार और मित्रों) की मदद करती है। इन सेवाओं में हाउसिंग (आवास) से लेकर काउंसलिंग (परामर्श) तक शामिल हैं।

- **मुफ्त फोन 0800 211 211**
- **familyservices.govt.nz/directory/ वेबसाइट पर जाएं**

सीसीएस डिसेबिलिटी एक्शन (सीसीएस विकलांगता कार्रवाई)

वे विकलांग लोगों और उनके whānau (परिवार और दोस्तों) को जानकारी और सहायता प्रदान करते हैं।

संपर्क करें:

- **मुफ्त फोन 0800 227 200**
- **ईमेल info@ccsDisabilityAction.org.nz**

मिनिस्ट्री फॉर एथनिक कम्युनिटीज़ (जातीय समुदायों के लिए मंत्रालय)

उनके पास जातीय समुदायों की सहायता के लिए धार्मिक संगठनों सहित सहायता सेवाओं की एक सूची है।

- **मुफ्त फोन 0800 656 656**
- **ethniccommunities.govt.nz वेबसाइट पर जाएं**

काउंसलिंग (परामर्श सेवा)

मानसिक स्वास्थ्य, या अन्य व्यक्तिगत मुद्दों पर पेशेवर समर्थन के लिए संपर्क करें:

- **Need to Talk (नीड टू टॉक) –1737 पर मुफ्त फोन या टैक्स्ट करें या 1737.org.nz पर जाएं**
- **Lifeline (लाईफलाईन) – मुफ्त फोन 0800 543 354 या 4357 पर टैक्स्ट करें**
- **Skylight (स्काइलाईट) – मुफ्त फोन 0800 299 100 करें या skylight.org.nz वेबसाइट पर जाएं**

बच्चों और युवा लोगों के लिए

- **What's Up (व्हाट्स अप) – मुफ्त फोन 0800 942 8787**
- **यूथलाईन – 0800 376 633 पर मुफ्त फोन करें या 234 पर टैक्स्ट करें**

अगर आप असुरक्षित महसूस करते हैं

- **areyouok.org.nz वेबसाइट पर जाएं**
- **'Are You OK (आर यू ओ के)' को 0800 456 450 नंबर पर मुफ्त फोन करें।**

MINISTRY OF JUSTICE
Tāhū o te Ture

अधिक जानकारी के लिए

- **justice.govt.nz/care-of-children वेबसाइट पर जाएं**
- **मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस (न्याय मंत्रालय) को 0800 224 733 नंबर पर मुफ्त फोन करें**